



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032025-261895
CG-DL-E-24032025-261895

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]
No. 195]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/ फाल्गुन 30, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा.सं. 18-02 / 16039—आईएनसी:—समय—समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :—

जबकि, राजा रत्ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 1-374, राजरत्ना नगर, ए—अग्रहारम (वी), डॉ. बी.आर. अंबेदका कोनासीमा, जिला रामचन्द्रपुरम, जिला. पूर्वी गोदावरी—533255 (आंध्र प्रदेश) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार तथा आंध्र प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइक्स रजिस्ट्रेषन काउंसिल द्वारा बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, 5वां ब्लॉक, भूतल, कमरा संख्या 157, आंध्र प्रदेश सचिवालय, वेलागुडी, अमरावती—522503, आंध्र प्रदेश को संबोधित नोटिस संख्या 18-02 / 16039—आईएनसी (56270) दिनांक 03.05.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 03.05.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति राजा रत्ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 1-374, राजरत्ना नगर, ए—अग्रहारम (वी), डॉ. बी.आर. अंबेदका कोनासीमा, जिला रामचन्द्रपुरम, जिला. पूर्वी गोदावरी—533255 (आंध्र प्रदेश) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशों प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, राजा रत्ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। और संस्था यानी राजा रत्ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 18.01.2024 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये कमियां गंभीर हैं जो दर्शाती हैं कि संस्थान बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने में असमर्थ है।

अतः, धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 26.10.2024 से राजा रत्ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 1-374, राजरत्ना नगर, ए-अग्रहारम (वी), डॉ. बी.आर. अंबेदका कोनासीमा, जिला रामचन्द्रपुरम, जिला पूर्वी गोदावरी-533255 (आंध्र प्रदेश) से बी.एससी. नर्सिंग मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफिटनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1056/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 10th March, 2025

F.No. 18-02/16039 -INC:—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Raja Ratna College of Nursing** situated at **1-374, Rajaratna Nagar, A- Agra haram (V), Dr. B.R Ambedka Konaseema Dist. Ramachandrapuram, Dist. East Godavari Pin Code 533255 Andhra Pradesh** is recognized by State Government of Andhra Pradesh and Andhra Pradesh Nurses Registration Council to conduct B.Sc(N) Course.

Whereas, a notice no. 18-02/16039-INC (56270) dated **03/05/2024** for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to the principal secretary (Health & FW), Government of Andhra Pradesh 5th Floor, Ground Floor, Room No. 157, A.P. Secretariat, Velegapudi, Amaravathi 522503, Andhra Pradesh was issued. Copy of the notice dated 03/05/2024 was also enclosed to **Raja Ratna College of Nursing** situated at **1-374, Rajaratna Nagar, A- Agra haram (V), Dr. B.R Ambedka Konaseema Dist. Ramachandrapuram, Dist. East Godavari Pin Code 533255 Andhra Pradesh** In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Raja Ratna College of Nursing**. Even the institution **Raja Ratna College of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 18/01/2024 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run B.Sc. (N) Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 26/10/2024 any person holding a recognized qualification of **B.Sc(N)** from **Raja Ratna College of Nursing** situated at **1-374, Rajaratna Nagar, A- Agra haram (V), Dr. B.R Ambedka Konaseema Dist. Ramachandrapuram, Dist. East Godavari Pin Code 533255 Andhra Pradesh** shall be entitled to be registered only in the State of Andhra Pradesh.

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./1056/2024-25]